फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हेमराज | **विपक्षी :– श्री नोजीराम**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 195/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.09.2020 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकों शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मावली ने बंटवारा प्रस्ताव में बताया कि वादी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया हैं। अतः बंटवारा प्रस्ताव संभव नहीं हैं। वादी अधिवक्ता ने न्यायालय में निवेदन किया कि मुझे एक अवसर प्रदान किया जावे ताकि में पक्षकार को उसके शेष हिस्से के बारे में जानकारी कर सकूं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा वादी ने बेचान कर दिया हैं। प्रतिवादी 1 व 2 ने भी अपने पक्ष में कोई जवाब नहीं देने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही न्यायालय द्वारा हो चुकी हैं। अतः इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण वाद खारिज किया जाता हैं। **(रमेश सीरवी पुनाड़िया)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.22 14:58:52 IST
Reason: SelfAttested